न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–06, लखीमपुर–खीरी
उपस्थितः अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा।
दाण्डिक वाद सं०–638/2007
रजि नं०–600638/2007

CNR NO. UPLP01–000224–2007

उ०प्र० राज्य ––––अभियोगी।

बनाम

छोटन्न पुत्र हरिवंश निवासी चन्दपुरा थाना धौरहरा जिला लखीमपुर–खीरी।

––––अभियुक्त।

मु०अ०सं०–660/2006
धारा–3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज
विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम।
थाना–धौरहरा, जिला खीरी।

निर्णय

1– थाना–धौरहरा, जनपद लखीमपुर खीरी में पंजीकृत मु०अ०सं०–660/2006, अन्तर्गत धारा–3(1) उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण प्रताप उर्फ राम प्रताप व छोटन्न के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

2– संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, "मैं एस०एच०ओ० विजय बहादुर सिंह मय कां० 75 दिलीप कुमार यादव व कां० 344 ऋषि राज पाण्डेय, कां० ड्राईवर लक्ष्मण प्रसाद जीप सरकारी नं० UP31C5854 बहवाले रपट नं०–26 समय 13:00 बजे वास्ते देखभाल शान्ति व्यवस्था व तलाश वांछित मुल्जिमान थाने से रवाना होकर क्षेत्र में मामूर था कि जनता द्वारा ज्ञात हुआ कि प्रताप पुत्र पूरन चाई निवासी ग्राम अभयपुर व छोटन्न पुत्र हरिवंश निवासी ग्राम चन्दपुरा थाना कोत–वाली धौरहरा खीरी का एक सुसंगठित गिरोह है, जो समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त होकर अपने तथा अपने साथियों के अनुचित आर्थिक लाभ के लिये विभिन्न तरीको से चोरी, लूट, हत्या का प्रयास व अन्य अपराध करने के अभ्यस्त हो गये है। इसके गैंग के सदस्यों की संख्या बढ़ती घटती रहती है एवं इसके गैंग के सदस्यों के विरूद्ध उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार थाना हाजा क्षेत्र में नकबजनी, लूट, हत्या का प्रयास आदि अन्य अपराध करने की चर्चा है। इसके गैंग के सदस्यों के भय एवं आतंक से जनता का कोई व्यक्ति इनके विरूद्ध रिपोर्ट लिखाने व गवाही देने का साहस नहीं करता है। इससे स्पष्ट है कि प्रताप व छोटन्न उपरोक्त भा०दं०वि० के अध्याय 16, 17 व 22 के अन्तर्गत वर्णित अपराध करने के अभ्यस्थ अपराधी है। इससे स्पष्ट है कि इनका एक सुसंगठित गिरोह है, जो अनुचित आर्थिक लाभ हेतु अपराध किया करता है, जो धारा–3(1) उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इसके गैंग के सदस्यों का गैंगचार्ट श्रीमान् पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट खीरी द्वारा अनुमोदित है।"

3– वादी मुकदमा एस०एच०ओ० विजय बहादुर सिंह द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श क–13 के आधार पर अभियुक्तगण प्रताप उर्फ राम प्रताप व छोटन्न के विरूद्ध दिनांक 26–10–2006 को समय 21:30 बजे, थाना–धौरहरा, जिला खीरी में मु०अ०सं०–660/2006, धारा–3(1) उ०प्र०

गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसका इन्द्राज थाने की कायमी जी०डी० में विधिनुसार किया गया।

4– विवेचक द्वारा विवेचना की गयी तथा वादी मुकदमा व गवाहान के बयान अंकित किये। विवेचना में आये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण प्रताप उर्फ राम प्रताप व छोटन्न के विरूद्ध मु०अ०सं०–660/2006, धारा–3(1) उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

5– अभियुक्त प्रताप उर्फ राम प्रताप की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध प्रकरण की कार्यवाही उपशमित की गयी तथा शेष अभियुक्त छोटन्न के विरूद्ध दिनांक 21–01–2016 को धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

6– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू०–1 के रूप में निरीक्षक सुरेश कुमार वर्मा, पी०डब्लू०–2 के रूप में विजय बहादुर सिंह (सेवानिवृत्त पुलिस अधिक्षक), पी०डब्लू०–3 के रूप में करूणा शंकर वर्मा व पी०डब्लू०–4 के रूप में निरीक्षक मुन्ना बाबू निरंजन को परीक्षित कराया गया है।

7– अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में मु०अ०सं०–359/05 से सम्बन्धित प्रथम सूचना रि–पोर्ट प्रदर्श क–1 व आरोप पत्र प्रदर्श क–2, मु०अ०सं०–292/06 से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3 व आरोप पत्र प्रदर्श क–4, मु०अ०सं०–196/04 से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–5 व आरोप पत्र प्रदर्श क–6, मु०अ०सं०–197/04 से सम्बन्धित आरोप पत्र प्रदर्श क–7, मु०अ०सं०–713/05 से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–8 व आरोप पत्र प्रदर्श क–9, मु०अ०सं०–715/05 से सम्बन्धित आरोप पत्र प्रदर्श क–10 तथा मु०अ०सं०–612/05 से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–11 व आरोप पत्र प्रदर्श क–12, तहरीर प्रदर्श क–13, गैंगचार्ट प्रदर्श क–14, अभियोग चलाये जाने हेतु अनुम–ति प्रपत्र प्रदर्श क 15 एवं मु०अ०सं०–660/2006 से सम्बन्धित आरोप पत्र प्रदर्श क–16 दाखिल किया गया है।

8– अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक 04–07–2026 को लेखबद्व किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक तथा गवाहानों के बयानों को गलत कहते हुए अपने विरूद्ध रंजिशन मुकदमा चलने का कथन किया है।

9– अभियुक्त पक्ष को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। अभियुक्त की ओर से सफाई साक्ष्य नहीं दिये जाने का पृष्ठांकन आदेश पत्र पर किया गया है।

10– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर) एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

निष्कर्ष

11– अभियुक्त पर आरोप है कि भिन्न–भिन्न दिनांक, समय व स्थान पर थाना धौरहरा, जिला खीरी की सीमा के अन्तर्गत अभियुक्त ने अपने गिरोह के सदस्यों के साथ अपने भौतिक एवं आर्थिक लाभ हेतु समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त रहे, जिसके कारण समाज में भय व्याप्त हो गया।

12– अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है। अभियुक्त ने गैंगचार्ट में वर्णित अपराध कारित कर लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त किया है और आर्थिक, भौतिक तथा दुनियाबी लाभ प्राप्त कर अवैध सम्पत्ति का अर्जन किया है। गिरोह का क्षेत्र में भय व आंतक है, जिस कारण उसके विरूद्ध कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता है। अभियुक्त पर

लगाये गये आरोप को अभियोजन संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाये ।

13– अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को अभियोजन संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त द्वारा वर्णित अपराधों को कर अर्जित अवैध संपत्ति के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त दोषमुक्त किया जाये ।

14– पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखने पर प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु परीक्षण योग्य है–

(i)– क्या अभियुक्त किसी "गैंग" का सदस्य/ सरगना था ?

(ii)– क्या अभियुक्त ने गैंग के रूप में उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा–2(ख) में वर्णित समाज विरोधी क्रियाकलाप किया और अभियुक्त द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–3 का अपराध कारित किया ?

15– उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1886 की धारा 2 (ख) में ''**गिरोह**'' और धारा 2 (ग) में ''**गिरोहबंद**'' को परिभाषित किया गया है, इसलिये उक्त अधिनियम की धारा–2(ख) और 2(ग) के अनुसार अभियोजन को अपने साक्ष्य से यह साबित करना है कि अभियुक्तगण में से किसी एक अभियुक्त ने स्वयं या सभी अभियुक्तों ने सम्मिलित रूप से दुनियावी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या प्रपीड़न द्वारा या अन्य प्रकार से धारा–2 (ख) में वर्णित समाज विरोधी क्रिया कलाप किया है। अभियोजन को यह भी साबित करना है कि अभियुक्त किसी गिरोह का सदस्या या सरगना या संगठनकर्ता है या वह गिरोह के क्रियाकलाप के किये जाने के पूर्व या पश्चात् दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता करता है या किसी अभियुक्त को जिसने क्रियाकलाप किया है, उसे संश्रय देता है।

16– आपराधिक विधि का मूलभूत सिद्धान्त है कि किसी भी आरोपित व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक कि वह विधि के अन्तर्गत दोषी साबित नहीं हो जाता। अभियोजन पर अपने प्रकरण को साबित करने का प्राथमिक भार होता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हितेन पी.दलाल बनाम ब्रतिन्द्रनाथ बनर्जी, (2001) 6 एस.सी.सी. 16, नरेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम म० प्र० राज्य (2004) 10 एस.सी.सी. 699, रंजीत सिंह ब्रम्हजीत सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2005) 5 एस.सी.सी. 294, एम.एस. नारायन मेनन उर्फ मणी बनाम केरल राज्य और अन्य (2006) 6 एस.सी.सी. 39, राजेश रंजन यादन उर्फ पप्पू यादव बनाम सी.बी.आई. द्वारा निदेशक (2007) 1 एस.सी.सी. 70** के मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है, अपराध जितना गम्भीर होता है, सबूत उतना ही ठोस होना चाहिए। इस प्रकार किसी गंभीर अपराध के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए उच्च स्तरीय साक्ष्य का होना आवश्यक है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पंजाब राज्य बनाम बल्देव सिंह (1999) 3 एस.सी.सी. 977 , तथा जितेन्द्र बनाम उ०प्र० राज्य (2004) 10 एस.सी. सी. 562** के मामलों में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

17– विधि व्यवस्था–**अकबर बनाम कर्नाटक राज्य, ए.आई.आर. 1979 सुप्रीम कोर्ट 1848 तथा हरेन्द्र सरकार बनाम असम राज्य ए.आई.आर. 2008 सुप्रीम कोर्ट 2467** में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन का यह दायित्व है कि संदेह से परे अपने वाद को सिद्ध करे तथा अभियोजन द्वारा इस गुणवत्ता का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए कि न्यायाधीश एक सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति की तरह यदि विचार करें तो उपलब्ध साक्ष्य से प्रत्येक

परिस्थिति में यह सिद्ध हो कि अभियुक्त द्वारा ही अपराध कारित किया गया है, उसके दिमाग में कोई संशय उत्पन्न न हो।

18– विधि व्यवस्था **उ०प्र० राज्य बनाम फूल मियां, 1998(1)जे०आई०सी० 792** में भी माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि ''सम्बद्ध व्यक्ति के सम्बन्ध में उसके द्वारा किये गये कृत्यों को ठोस साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए कि उसने वास्तविक रूप से वह कृत्य किये हैं, जिसका परिवाद किया गया है।''

19– गैंगचार्ट के अनुसार, अभियुक्त छोटन्न के विरूद्ध मु०अ०सं०–351/03 धारा–457,380 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–359/05 धारा–401 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–292/06 धारा 401 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–713/05 धारा–307 भा०दं०सं व मु०अ०सं०–715/05 घापा–3/25(1–B) आर्म्स एक्ट थाना धौरहरा, जिला लखीमपुर खीरी में पंजीकृत हैं।

20– साक्षी पी०डब्लू०–1 निरीक्षक सुरेश कुमार वर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान दिनांक 27–10–2018 में कथन किया है कि, "दिनांक 23.05.2005 बजे मैं थाना धौरहरा में बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। उस दिन मैने थाना धौरहरा में अ०सं०–359/2005 धारा–401 भा०दं०सं० बनाम प्रताप चाई, रामलखन, छोटकन्न, रामनरेश के विरूद्ध धारा–401 भा०दं०सं० के अन्तर्गत फर्द बरामदगी दो अदद आला नकल, चाबी का गुच्छा, बीडी, माचिस के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया था, चिक पर प्रदर्श क 1 डाला गया था, इस अभियोग के एस०आई० सियाराम वर्मा द्वारा की गयी थी, उनके द्वारा तैयार आरोप पत्र छायाप्रति पत्रावली पर संलग्न है। लेख व हस्ताक्षर पहचानता हूं। साथ में तैनात रहे है, जिस पर प्रदर्श क 2 डाला गया। दिनांक 31.05.2006 को थाना धौरहरा में मैने अभियुक्तगण रामनरेश उर्फ नकुली, छोटन्न, भन्गू के विरूद्ध अ०सं० 292/2006, धारा–401 भा०दं०सं० के अन्तर्गत एक अदद आला नकल, एक अदद चाभी का गुच्छा के विरूद्ध कायम कराया था चिक पर प्रदर्श क 3 डाला गया। इस अभियोग की विवेचना निरीक्षक विजय प्रताप द्वारा की गयी थी। उनके द्वारा तैयार आरोप पत्र की छायाप्रति पत्रावली पर संलग्न है। लेख व हस्ताक्षर पहचानता हूं। साथ तैनात रहे है जिस पर प्रदर्श क 4 डाला गया दिनांक 04.06.2004 को थाना धौरहरा में अभियुक्तगण प्रताप चाई, रमेश, राजाराम व रामलखन के विरूद्ध उनके कब्जे से प्राप्त चाभी का गुच्छा आला नकल, एक अदद तमंचा, कारतूस की फर्द बरामदगी के आधार पर अ०सं०–196/04, धारा 401 आई०पी०सी० व अ०सं०–197/2004, धारा–3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया था चिक पर प्रदर्श क 5 डाला गया। इस अभियोग की विवेचना एच०सी०पी० हीरा प्रसाद यादव द्वारा की गयी थी उनके द्वारा तैयार किये गये आरोप पत्र पत्रावली पर संलग्न है। लेख व हस्ताक्षर पहचानता हूं। साथ तैनात रहे है। जिस पर प्रदर्श क 6 व 7 डाला गया। दिनांक 09.12.2005 को मैने थाना धौरहरा में अभियुक्तगण रामू, छोटन्न व परसराम के विरूद्ध फर्द बरामदगी एक अदद अद्धी बन्दूक 12 बोर, एक तमंचा 12 बोर, चार जिन्दा कारतूस व दो अदद खोखा, एक तमंचा 315 बोर दो अदद जिन्दा व एक खोखा कारतूस के आधार पर गश्त के दौरान अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर व हम लोगों पर जानलेवा हमले की नीयत के बाबत अ०सं०–713/05, धारा–307 भा०दं०सं०, अ०सं०–714/05, धारा–3/25 आर्म्स एक्ट बनाम रामू,अ०सं०–715/05, धारा–3/25 आर्म्स एक्ट बनाम छोटन्न,अ०सं०–716/05, धारा–3/25 आर्म्स एक्ट बनाम पारसराम के विरूद्ध कायम कराया था चिक पर प्रदर्श क 8 डाला गया। अभियोगो की विवेचना उपनिरीक्षक आर०बी०सिंह के द्वारा की गयी थी। उनके द्वारा तैयार आरोप पत्र पत्रावली पर संलग्न है जिस पर प्रदर्श क 9 व क 10 डाला गया, लेख व हस्ताक्षर पहचानता हूं। दिनांक 22.09.2005 को थाना धौरहरा में अ०सं०–617/2005, धारा–394 भा०दं०सं० वादी मुकदमा विजय बहादुर द्वारा एच०एम०टी० घड़ी व 100/–रूपये लूट के बाबत लिखाया गया था जिसकी विवेचना मेरे सुपुर्द हुयी थी। इस अभियोग की चिक का०/क्लर्क पूरनलाल के द्वारा लिखी गयी थी। लेख व हस्ताक्षर पहचानता

हूं। जिस पर प्रदर्श क 11 डाला गया। अभियुक्तगण प्रताप चाई, मेराज अली के विरूद्ध अपराध प्रमाणित होने पर लूट की घड़ी बरामद होने के आधार पर दिनांक 24.11.2005 के आरोप पत्र प्रेषित किया गया था, जिसकी छायाप्रति पत्रावली पर संलग्न है, जिस पर प्रदर्श क 12 डाला गया।"

21– **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "मैं वर्ष 2003 को प्रारम्भ में थाना धौरहरा में बतौर उपनिरीक्षक तैनात था मेरे पास हल्का नं० 2 व चौकी कफारा था, जब मैं पोस्ट हुआ उस समय थाना धौरहरा में प्रताप उर्फ रामप्रताप का कोई और रजिस्टर नहीं था। मैने अ०सं० 192/2006 धारा–401 भा०दं०सं० छोटन्न आदि के विरूद्ध कायम कराया था। जिसमें मै वादी था जिसके परिणाम की जानकारी मुझे नहीं है। दूसरा मुकदमा अ०सं०–196/04, 197/04, धारा क्रमशः 401 भा०दं०सं० व धारा–3/25 आर्म्स एक्ट कायम कराया था। इन दोनो मुकदमों में न्यायालय के परिणाम की जानकारी मुझे नहीं है। दिनांक 09.12.2005 को मैने अभियुक्तगण रामू, छोटन्न व परसराम के विरूद्ध आर्म्स एक्ट के मुकदमे व धारा 307 भा०दं०सं० के मुकदमें कायम कराये थे, धारा 307 भा०दं०सं० पुलिसपार्टी फायरिंग में किसी पुलिसकर्मी को चोटे नहीं आई थी। मुझे यह नहीं पता है कि छोटन्न पूर्व में सजायाफ्ता था या नहीं। मुझे जानकारी नहीं है कि छोटन्न अपराध कर कौन सी सम्पत्ति प्राप्त की है या नहीं। यह कहना गलत है कि छोटन्न अपराधी प्रकृति का व्यक्ति न हो और मैने शिकायतों के आधार पर उसके विरूद्ध मुकदमा कायम कराया है।"

22– साक्षी पी०डब्लू०–1 निरीक्षक सुरेश कुमार वर्मा ने मुख्य परीक्षा बयान में द्वितीयक साक्ष्य के रूप में मु०अ०सं०–359/05 से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोप पत्र, मु०अ०सं०–292/06 से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोप पत्र, मु०अ०सं०–196/04 से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोप पत्र, मु०अ०सं०–197/04 से सम्बन्धित आरोप पत्र, मु०अ०सं०–713/05 से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोप पत्र, मु०अ०सं०–715/05 से सम्बन्धित आरोप पत्र तथा मु०अ०सं०–612/05 से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोप पत्र को साबित किया है। प्रतिपरीक्षा में बयान दिया है कि , "मुझे यह नहीं पता है कि छोटन्न पूर्व में सजायाफ्ता था या नहीं। मुझे जानकारी नहीं है कि छोटन्न अपराध कर कौन सी सम्पत्ति प्राप्त की है या नहीं।" इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षा बयान के अनुसार वह इस तथ्य की जानकारी होने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि, अभियुक्त छोटन्न पूर्व से सजायाफ्ता था या नहीं तथा अभियुक्त द्वारा कौन–कौन सी सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित की गयी थी और उससे प्राप्त हुई थी। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई उल्लेखनीय बयान नहीं आया है, जिससे कथित आधारभूत घटनाक्रम के सम्बन्ध में अभियुक्ग की संपिल्तता आदि पर कोई प्रकाश पड़ता हो।

23– **साक्षी पी०डब्लू०–2 विजय बहादुर सिंह (सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक)** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान दिनांक 17–10–2025 में कथन किया है कि, "दिनांक 26.10.2006 को मैं थाना प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली धौरहरा जिला खीरी के पद पर तैनात था। उस दिन मैं अपने हमराहियान के साथ सरकारी जीप व चालक बहवाले रपट नं० 26 समय 13:00 बजे वास्ते देखभाल शान्ति व्यवस्था व तलाश वांछित मुल्जिमान थाना से रवाना होकर क्षेत्र में मामूर था कि जनता द्वारा ज्ञात हुआ कि प्रताप पुत्र पूरन निवासी ग्राम अभयपुरवा, छोटन्न पुत्र हरिबंश निवासी ग्राम चन्दपुरा थाना कोतवाली धौरहरा जनपद खीरी का एक सुसंगठित गिरोह है जो समाज विरोधी क्रियाकलाप में अपनी तथा अपने साक्षियों के लिये चोरी, लूट, हत्या के प्रयास के अपराध में अभयस्त अपराधी हो गये हैं। उनके गैंग की संख्या घटती बढ़ती रहती है। उसके गैंग के सदस्यों के विरूद्ध उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार थाना हाजा के क्षेत्र के नकद चोरी, लूट, हत्या का प्रयास आदि अन्य मुकदमें की क्षेत्र में चर्चा है। क्षेत्र में इस गैंग का भय एवं आतंक है। इस कारण इसके विरूद्ध गवाही व मुकदमा लिखाने का साहस नहीं करता है। इस गैंग के द्वारा आई०पी०सी० के अध्याय 16,17 व 22 के अन्तर्गत वर्णित अपराधों को कारित किया जाता है। जो कि धारा 3(1) UPGT Act के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इस गैंग के सदस्यों के विरूद्ध गैंग चार्ट श्रीमान पुलिस अधीक्षक की संसुस्ति पर श्रीमान डी०एम० साहब द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। मेरे द्वारा हमराही दिलीप कुमार यादव से बोल बोल कर तहरीर लिखायी

गयी थी, जो कि शामिल पत्रावली है। इस पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं। इस पर प्रदर्श क 13 डाला गया। गैंग चार्ट भी मेरे दिशा निर्देश में तैयार कराया गया था जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने है। इस पर प्रदर्श क 14 डाला गया। विवेचक महोदय से मेरा बयान लिया था।"

24– **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "मुझे क्षेत्र के लोगों ने बताया था कि यह शातिर किस्म के अपराधी है। इनके भय से क्षेत्र में कोई न तो मुकदमा लिखाता है और न ही गवाही देता है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनता के व्यक्ति ने बताया कि पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास है। यह मुझे याद नहीं है कि इन अभियुक्तों के विरूद्ध कितने मुकदमें पंजीकृत है। गैंग चार्ट देख कर बता दिया हूं। मैने गैंग चार्ट अनुमोदित होने के उपरान्त FIR पंजीकृत कराया था। मैने डी०एम० साहब से अनुमोदन गैंग चार्ट के माध्यम से प्राप्त की है। यह मैं नहीं बता सकता हूं कि और मुझे यह याद नहीं है कि किस तारीख को जिलाधिकारी महोदय ने अनुमोदन किया है। इसकी तारीख हमें याद नहीं है। यह कहना गलत है कि मैने थाने पर बैठ कर रिपोर्ट तैयार की हो। यह भी कहना गलत है कि जनता से कोई सूचना ली हो।"

25– साक्षी पी०डब्लू०–2 विजय बहादुर सिंह, जो कि कथित घटनाक्रम का वादी मुकदमा है, के मुख्य परीक्षा बयान के अनुसार, दिनांक 26.10.2006 को वह मय हमराहियान देखभाल शान्ति व्यवस्था व तलाश वांछित मुल्जिमान थाना से रवाना होकर क्षेत्र में मामूर था, तभी उसे जनता द्वारा ज्ञात होना कि प्रताप व छोटन्न का एक सुसंगठित गिरोह है, जो समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त रह कर चोरी, लूट, हत्या के प्रयास के अपराध में अभयस्त अपराधी है, कहा गया है। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा हमराही दिलीप कुमार यादव से बोल बोल कर तहरीर लिखाया जाना कहा जाना कहा गया है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षा बयान के अनुसार, उसे क्षेत्र के लोगों ने बताया था कि यह शातिर किस्म के अपराधी है। इनके भय से क्षेत्र में कोई न तो मुकदमा लिखाता है और न ही गवाही देता है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनता के व्यक्ति ने बताया कि पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास है। इसके अतिरिक्त उसने यह भी कथन किया है कि उसे याद नहीं है कि इन अभियुक्तों के विरूद्ध कितने मुकदमें पंजीकृत है। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी द्वारा मात्र सामान्य रूप से कथन किया गया है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनता के व्यक्ति ने बताया कि पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास है तथा उसने गैंग चार्ट अनुमोदित होने के उपरान्त FIR पंजीकृत कराया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी ने अनुमोदन होने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृति किया जाना कहा गया, जबकि इस तथ्य की जानकारी होने से इंकार किया गया कि किस तारीख को जिलाधिकारी महोदय ने अनुमोदन किया है, इसकी तारीख उसे याद नहीं है। यहां महत्वपूर्ण है कि उक्त उक्त साक्षी के साक्ष्य में कहीं कोई विशिष्ट कथन नहीं आया है कि उक्त साक्षी द्वारा किस प्रकार का अवैध कार्य करता है, तथा उसके द्वारा उक्त अवैध कार्य से क्या–क्या और कितना धन अर्जन किया गया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के बयानों में ऐसा कोई विशिष्ट कथन नहीं आया है, जिससे कथित आधारभूत घटनाक्रम में अभियुक्त की संलिप्तता पर कोई प्रकाश पड़ता हो तथा अभियोजन को कोई सहायता मिलती हो।

26– **साक्षी पी०डब्लू०–3 करूणा शंकर वर्मा** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान दिनांक 31–10–2025 में कथन किया है कि, "सन 2003 में मेरे घर में चोरी हुयी थी। अज्ञात चोर मेरे घर में 12:00–01:00 बजे रात में घुस आये थे। चोर मेरे छोटे भाई दयाशंकर के कमरे की कुण्डी तोड़कर उसमें रखे गहने सोने और चॉदी के व नकदी उठा ले गये थे। मैने थाना धौरहरा में इस घटना की चोरी की रिपोर्ट अज्ञात में लिखायी थी। पुलिस वाले आये थे और नक्शा बनाये थे और मेरा बयान भी लिया था। चोरी में मेरे भाई दयाशंकर की 10 ग्राम की एक सोने की एक चैन, एक जोड़ी सोने के कंगन, एक सोने की पचलरी, पायल चॉदी की 5 जोड़, साड़ी बनारसी दो अदद, 6000/–रूपये नकद और पर्स चुरा ले गये थे। पुलिस वालो ने चोट को पकड़ा था। जो मेरे घर में चोरी किये था उनका एक गिरोह था। गिरोह बनाकर चोरी करते थे। काफी दबंग बदमाश थे। इनकी न तो कोई रिपोर्ट थाने में लिखाया था और न ही इनके खिलाफ कोई गवाही देता है।"

27– **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "मैं लखनपुरवा का रहने वाला हूं। मेरे घर पर 2003 में चोरी हो गयी थी। उसमें रिपोर्ट मैने अज्ञात में लिखायी थी। मैने किसी को चोरी करते हुये नहीं देखा था इसलिए मैने रिपोर्ट अज्ञात में लिखायी थी। मेरे छोटे भाई की बीबी का सामान चोरी हो गया था। सोने की एक चैन 10 तोले की, सोने के कंगन एक जोड़ी, सोने की पचलरी, पांच जोड़ी चांदी के पायल और 6000/– रूपये नकद चोरी गये थे। जो चोरी वाला सामान अभी तक मेरे भाई को नहीं मिला और न ही पुलिस हमें कोई सूचना भी नहीं दी की आपका माल बरामद हो गया है। जो मुकदमा मैने चोरी वाला लिखाया था। उसके बारे में हमे कोई जानकारी नहीं है कि वह मुकदमा चल रहा है कि समाप्त हो गया है। पुलिस वालों ने हमें यह नहीं बताया था कि मैने मुल्जिमा को पकड़ लिया। हाजिर अदालत मुल्जिम छोटन्ना को देखकर गवाह ने कहा कि मैं इसको जानता नहीं हूँ और न ही पहचानता हूं।"

28– साक्षी पी०डब्लू०–3 करूणा शंकर वर्मा के मुख्य परीक्षा बयान के अनुसार, सन् 2003 में उसके घर में चोरी हुयी थी। अज्ञात चोर उसके घर में 12:00–01:00 बजे रात में घुस आये थे। चोर उसके छोटे भाई दयाशंकर के कमरे की कुण्डी तोड़कर उसमें रखे गहने सोने और चॉदी के व नकदी उठा ले गये थे। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "रिपोर्ट मैने अज्ञात में लिखायी थी। मैने किसी को चोरी करते हुये नहीं देखा था इसलिए मैने रिपोर्ट अज्ञात में लिखायी थी।" इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी ने कथित आधारभूत घटनाक्रम में अभियुक्त को पहचानने से इंकार किया जाना, अज्ञात चोरो द्वारा चोरी किया जाना तथा अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कराया जाना स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि, "हाजिर अदालत मुल्जिम छोटन्ना को देखकर गवाह ने कहा कि मैं इसको जानता नहीं हूँ और न ही पहचानता हूं।" इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी द्वारा कथित घटनाक्रम में अभियुक्त छोटन्न की संलिप्तता होने अथवा उसे पहचानने से स्पष्ट रूप से इंकार किया गया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के बयानों में ऐसा कोई विशिष्ट कथन नहीं आया है, जिससे कथित आधारभूत घटनाक्रम में अभियुक्त की संलिप्तता पर कोई प्रकाश पड़ता हो तथा अभियोजन को कोई सहायता मिलती हो।

29– **साक्षी पी०डब्लू०–4 निरीक्षक मुन्ना बाबू निरंजन** ने अपनी मुख्य परीक्षा बयान दिनांक 03–06–2026 में कथन किया है कि, "दिनांक 16.09.2007 को पूर्व थानाध्यक्ष ईसानगर संजीव कुमार श्रीवास्तव के हस्तानान्तरण के बाद मुझे मु०अ०सं०–660/2006 की विवेचना प्राप्त हुई। दिनांक 16.09.2007 को ही मेरे द्वारा सी०डी० का पर्चा नं०–24 किता किया गया और मेरे द्वारा अभियोजन अनुमति के लिये श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय से अभियोग चलाये जाने की अनुमति प्राप्त की गयी। अनुमति शामिल पत्रावली है, जिस पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार राय के हस्ताक्षर बने हैं। मैंने उनके साथ में काम किया है। मैं उनके हस्ताक्षर पहचानता हूँ। आज मैं उनके हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। अभियोजन चलाये जाने की अनुमति पर प्रदर्श क 15 डाला गया है और अभियुक्त प्रताप उर्फ रामप्रताप तथा छोटन्ने के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय श्रीमान् जी के यहाँ प्रेषित किया गया। आरोप पत्र शामिल पत्रावली है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क 16 डाला गया है।"

30– **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "आरोप पत्र मेरे द्वारा ही दाखिल किया गया है। अभियोग चलाये जाने की अनुमति प्राप्त करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र दिनांक 23.09.2007 को प्रेषित किया था। अनुमति प्राप्त करने के बाद ही आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था। गवाहों के बयान मैंने नहीं लिये थे। मेरे द्वारा केवल अनुमति प्राप्त कर आरोप पत्र दाखिल किया गया था। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा बिना कोई छानबीन के आरोप पत्र दाखिल किया गया हो।"

31– साक्षी पी०डब्लू०–4 निरीक्षक मुन्ना बाबू निरंजन एक औपचारिक साक्षी व प्रकरण का विवेचक साक्षी है, जिनके द्वारा मुख्य परीक्षा बयान में दौरान विवेचना कृत कार्यवाही का विवरण देते हुए अभियोजन प्रपत्र यथा अभियोग चलाये जाने की अनुमति प्रपत्र व आरोप पत्र को साबित किया गया है

तथा प्रतिपरीक्षा में कोई उल्लेखनीय बयान नहीं आया है। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी मात्र औपचारिक रूप से अभियोजन प्रपत्र को साबित किया है, इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई महत्वपूर्ण बयान नहीं आया है, जिससे कथित आधारभूत घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता दर्शित होती हो अथवा अभियुक्तगण द्वारा अनुचित रूप से कोई अवैध धन अर्जित किया गया हो, इस सम्बन्ध में कोई प्रकाश पड़ता हो।

32– Vinod Bihari Lal v. State of U.P., 2025 SCC Online SC 1216, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि गैंगचार्ट और स्वीकृति मात्र औपचारिक "rubber stamp" नहीं हो सकती, सक्षम प्राधिकारी को स्वतंत्र रूप से सामग्री पर विचार करना आवश्यक है।

33– Vinay Kumar Gupta V. State of U.P., (Neutral Citation No.–2025 : AHC : 79679 (Application u/s 482 No.–20422 of 2024) and Kamalveer Singh V. State of U.P., (Neutral Citation No.–2025 : AHC : 87524–DB (Criminal Misc. Writ petition No.–16327 of 2024) में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गैंगचार्ट में दर्शाये गये आधारभूत मुकदमों की स्थिति, आरोप पत्र, लम्बित कार्यवाही और प्रासंगिक सामग्री स्पष्ट होने चाहिये; गैंगस्टर एक्ट का प्रयोग यांत्रिक ढंग से नहीं किया जा सकता।

34– ये भी विधिक स्थिति है कि यदि आधारभूत मुकदमों का साक्ष्य ही अभियुक्त को समाज/ विरोधी गिरोह गतिविधि से नहीं जोड़ता, तो मात्र गैंगचार्ट या पुलिस राय के आधार पर दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने ऐसे मामलों में प्रेक्षित किया है कि गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही आधारभूत आपराधिक सामग्री से पृथक होकर शून्य में खड़ी नहीं रह सकती (maxim–*Sublato Fundamento, cadit opus*) (Ramesh Kumar V. State of U.P., Application u/s 482 No.–358 of 2024)।

35– अभियोजन की ओर से गैंगचार्ट में वर्णित अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी वादी अथवा पीड़ित साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है और न की किसी स्वतंत्र साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जिससे अभियुक्त की कथित घटनाक्रम में संलिप्तता के सम्बन्ध में कोई प्रकाश पड़ता हो।

36– गैंगस्टर अधिनियम का उद्देश्य किसी व्यक्ति को मात्र अभियोगित (accused) होने के आधार पर दण्डित करना नहीं है, अपितु ये सिद्ध करना है कि वह व्यक्ति किसी "गैंग" का सदस्य/ लीडर है, संगठित एवं निरन्तर आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है तथा आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु अपराध कर रहा है। जब आधारभूत मुकदमें में अभियुक्त की संलिप्तता ही न्यायिक परीक्षण में सिद्ध नहीं हुई, तब उसी घटना के आधार पर गैंग सदस्यता एवं संगठित अपराध का निष्कर्ष निकालना स्पष्टतया विधिसम्मत मानक के विपरीत होगा। अभियोजन ऐसा कोई भी स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिससे मूलभूत तथ्य साबित होते हो।

37– न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से ऐसा कोई स्वतंत्र जनसाक्षी, सम्भ्रान्त व्यक्ति या पीड़ित प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे ये सिद्ध हो सके कि अभियुक्त के गिरोह से समाज में वास्तविक भय अथवा आतंक था। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि परीक्षित साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और न ही उससे अभियोजन अपने समर्थन में कोई तथ्य निकलवा पाने में सफल रहा है। अतः अभियोजन युक्ति–युक्त संदेह से परे यह सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है कि अभियुक्त किसी "गैंग" के सदस्य/ सरगना रहे हो तथा उसने संगठित गैंग के रूप में धारा–2(ख) में वर्णित समाज–विरोधी क्रियाकलाप किया हो। तद्नुसार उक्त बिन्दु अवधारित किया जाता है।

38– इस प्रकार उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचना तथा उपर्युक्त विधिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से

परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः अभियुक्त छोटन्न पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–2/3 उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

39– अभियुक्त छोटन्न को दाण्डिक वाद सं०–638/2007, मु०अ०सं०–660/2006, थाना–धौरहरा, जिला लखीमपुर खीरी में आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–2/3 उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

40– अभियुक्त जमानत पर है। उसके जमानत प्रपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उसके प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

41– अभियुक्त द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–481 के तहत मु० 50,000–50,000/–(पचास–पचास हजार) रूपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू इस निर्णय की तिथि के 07 दिवस के अन्दर, इस न्यायालय में इस बाबत दाखिल करें कि उन्हें जब कभी इस न्यायालय द्वारा या अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किया जायेगा, तब वे इस न्यायालय में या अन्यथा निर्देशित न्यायालय में उपस्थित होंगे।

दिनांकः 20–07–2026

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–6/
विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट)
लखीमपुर–खीरी।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 1561

उक्त निर्णय/ आदेश आज स्वयं मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 20–07–2026

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–6/
विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट)
लखीमपुर–खीरी।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 1561

Digitally signed by ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.07.20 17:08:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court